Worth Reporting

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /2283/2006/ जिला जयपुर

श्रीकिशन पुत्र भूरामल जाति मीणा निवासी ग्राम निवाना तहसील चोमू जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– हरबक्श
2– छीतर (फौत)
3– गोमी
4– रामेश्वर

पुत्रगण श्योलाल जाति यादव निवासी ग्राम निवाना तहसील चोमू जिला जयपुर।

5– श्रीमती गुलाब पुत्री श्योला पत्नि रामेश्वर यादव निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

6– हरनाथ पुत्र ईशरा जाति अहीर निवासी ग्राम निवाणा तहसील चोमू जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री सुबोध जैन, अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री श्यामबाबू पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–03–2014

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 230 के अन्तर्गत यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर (अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 45/2005 में पारित निर्णय दिनांक 31–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

(नोटः– निगरानी के उनवान में प्रार्थी का नाम ''श्री किशन'' लिखा गया है, तथापि आलोच्य आदेश दिनांक 31–03–2006 और तहसीलदार, चौमू

द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–04–2000 अनुसार उसका वास्तविक नाम ''श्रीकृष्ण'' है। टंकण सम्बन्धी त्रुटि होने से इसे अनदेखा किया जा रहा है)

2– निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किः–

(1) प्रार्थी श्रीकृष्ण विवादित आराजी खसरा नम्बर 707, 715 व 729 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा ग्राम निवाना तहसील चौमू का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। विवादित आराजी बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता व अप्रार्थी संख्या–6 के पति श्योला ने एक दावा अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो श्योला के हक में सहायक कलेक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 07–09–1970 को डिक्री किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07–09–1970 के विरुद्ध अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06–06–1973 द्वारा अपील को स्वीकार करके वादीगण श्योला के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 07–09–1970 को निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 06–06–1973 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20–12–1977 को खारिज कर दिया गया। राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 20–12–1977 के विरुद्ध कोई रिट, अपील अथवा नजरसानी प्रस्तुत नहीं होने से वह निर्णय अंतिम हो गया तथा वर्तमान प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार अंकित हो गया।

(2) राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20–12–1977 के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करके जबरदस्ती से विवादित आराजी पर कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी के परिवार के दो सदस्यों की हत्या होने पर विवादित आराजी को मुकदमा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुर्क करके तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया।

(3) धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण का फैसला मृतक श्योला के पक्ष में कर हुआ और वादग्रस्त भूमि का कब्जा श्योला के वारिसान को दे दिया गया।

(4) इसके बाद प्रार्थी श्रीकृष्ण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार चोमू के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी को विवादित आराजी का कब्जा

दिलाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर कार्यवाहीं करके तहसीलदार चोमू ने दिनांक 01–04–2000 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 01–04–2000 के विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (तृतीय) जयपुर (अपीलीय न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–03–2006 द्वारा प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहराते हुये अभिकथन किया किः–

(1) कि प्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण व हत्या के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता के आपराधिक प्रकरण का फैसला श्योला/ अप्रार्थीगण के पक्ष में होने मात्र को आधार मानते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि राजस्व प्रकरण में आपराधिक प्रकरण के निर्णय को आधार नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपराधिक प्रकरण के फैसले के आधार पर प्रार्थी का धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रार्थनापत्र दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के विपरीत खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना था कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार कौन है और उस पर कब्जा किसका है। अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा होने से उनको बेदखल किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया गया है।

(2) मियाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि विवादित आराजी वर्ष 1979 में कुर्क की गई थी तथा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण का फैसला 1991 में होने के बाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया है। अतः उक्त 1991 के कब्जे के आधार पर प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 183–बी अधिनियम, 1955 अन्दर मियाद था।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायायलयों का निर्णय विधि विरुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है किः—

(1) कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183—बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है। अतः उक्त धारा 183—बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संवत् 2009 अर्थात सन् 1952 से साबित किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को सम्वत 2009 के बाद कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है ऐसी स्थिति में धारा 183—बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

(2) कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन करने के पश्चात निर्णय पारित किया है, जिसमें ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। जब तक आलोच्य आदेश में भयंकर विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो, निगरानी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का कथन है कि हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7— निगरानी के गुणावगुण पर विचारण हेतु मैने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में संलग्न निम्नांकित दस्तावेजात का बागौर अवलोकन व अध्ययन किया हैः—

(1) खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2033।
(2) जमाबन्दी सम्वत 2019 त 2023।
(3) जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041।

(4) जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059।
(5) अपील/टीए/243/73/जयपुर उनवानी श्याोला बनाम श्रीकृष्ण एवं अन्य में राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ का निर्णय दिनांक 20–12–1977।
(6) सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21–03–1991।
(7) सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21–03–1991 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी संख्या 3/91 (26/96) में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–1996।
(8) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 292/81 व 333/81 में पारित निर्णय दिनांक 11–12–1981।

8– उपरोक्त अनुच्छेद संख्या–7 में वर्णित दस्तावेजात के अवलोकन तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर करने के बाद यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदारी प्रार्थी पक्ष के नाम से है।

(1) जमाबन्दी सम्वत 2019 ता 2023 अनुसार वादग्रस्त भूमि सादया वल्द सालग कौम मीना व अन्य की माफी में होकर चौथू वल्द भूरा कौम मीना बतौर कृषक दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 के अनुसार खातेदार कृषक श्रीकृष्ण पुत्र भूरा कौम मीना है। जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 अनुसार भी यही स्थिति है। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणात्मक दावा राजस्व मण्डल तक से खारिज हो चुका है।
(2) अपील/टीए/243/73/जयपुर उनवानी श्याोला बनाम श्रीकृष्ण एवं अन्य में मण्डल की खण्ड पीठ का निर्णय दिनांक 20–12–1977 के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी श्योला का दावा दिनांक 07–09–1970 को डिक्री किया गया। उक्त डिक्री दिनांक 07–09–1970 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06–06–1973 से प्रार्थी श्रीकृष्ण की अपील को स्वीकार किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी का निष्कर्ष था किः–

> ***"4– वादी इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि वो कृषक था। कृषक की परिभाषा में लगान देय होना अथवा देना आवश्यक माना गया है। वादीगण इस तथ्य पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।"***

"5–यदि वादी अपने खातेदारी अधिकार को कानून के किसी प्रावधान को मानता है तो इस सम्बन्ध में कुछ भी तथ्यों का उल्लेख नहीं कर पाया।"

(3) राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 20–12–1977 से वर्तमान अप्रार्थीगण की अपील को खारिज करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को बहाल रखा। मण्डल की खण्ड पीठ के अनुसारः–

"5- We find that the appellant has failed to establish that he was a tenant of the land in suit or that he acquired khatedari rights thereon."

9– राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ का निर्णय दिनांक 20–12–1977 इस बिन्दु पर अन्तिम है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण नहीं है। 20–12–1977 के राजस्व मण्डल के निर्णय के बाद वर्तमान अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं, जिनको बेदखल करने का अधिकार प्रार्थी पक्ष के पास बतौर खातेदार है। यह भी तथ्य है कि 1977 के निर्णय के बाद पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ और उक्त झगड़े में हत्या की वारदात भी हुई। उक्त हत्या की वारदात के बाद वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 09–11–1979 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही की जा कर रिसीवर नियुक्त किया गया और दिनांक 21–03–1991 तक भूमि रिसीवरी में रही। रिसीवरी समाप्त करने के बाद सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू के आदेश दिनांक 21–03–1991 से वर्तमान अप्रार्थीगण को कब्जा इस आधार पर सौंपा गया कि 09–11–1979 को रिसीवरी में लेने से तत्काल पूर्व दो माह तक वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में थी। निर्णय दिनांक 21–03–1991 के अनुसार ***"प्रारम्भिक आदेश दिनांक 17–08–79 एवं इससे दो माह पूर्व"*** वास्तविक कब्जा श्योला अहीर अर्थात वर्तमान अप्रार्थीगण के पिता का माना गया और उसे कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 21–03–1991 के विरुद्ध प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 28–10–1996 को खारिज हो कर सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू के निर्णय दिनांक 21–03–1996 को बहाल रखा गया, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया था।

10– सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू के निर्णय दिनांक 21–03–1991 और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–10–1996 के बावजूद राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक

20–10–1977 अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम ही रही, और अप्रार्थीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी ही रहा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत चली कार्यवाही अथवा हत्या के मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय तक से निर्णय के बावजूद वादग्रस्त भूमि के स्वत्वाधिकार पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि भूमि के स्वत्वाधिकार का निर्णय तो राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है और राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20–10–1977 से यह अन्तिम रुप से निर्णीत है कि वादग्रस्त भूमि के स्वत्वाधिकार प्रार्थी पक्ष में निहित है और अप्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है। अतः 28–10–1996 के निर्णय के बावजूद अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी ही हैं और प्रार्थी उन्हें धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बेदखल कराने का अधिकारी है। इसी कारण प्रार्थी द्वारा 1997 में उक्त धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र तहसीलदार के सामने प्रस्तुत किया।

11– तहसीलदार, चौमूं द्वारा जो निर्णय दिनांक 01–04–2000 पारित कर प्रार्थी का धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रार्थनापत्र खारिज किया है, उक्त निर्णय पूर्णतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत चली कार्यवाही और हत्या के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–1981 पर आधारित है। जबकि विधि की स्थिति यह है कि राजस्व प्रकरणों में खातेदारी अधिकारों का निर्णय आपराधिक प्रकरणों के निर्णय पर आधारित नहीं होना चाहिये अपितु राजस्व न्यायालय को अपने स्वतंत्र विवेक से साक्ष्य व तथ्यों का विश्लेषण करके राजस्व प्रकरण में खातेदार के अधिकारों का विनिश्चयन करना चाहिये। तहसीलदार को यह निर्णय करना चाहिये था कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का कब्जा धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्यों प्राप्त नहीं कर सकता है और अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहने का क्या अधिकार है? किन्तु तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–04–2000 में इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गयी, अपितु यह निष्कर्षांकन किया है कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण ने कब उसे बेदखल करके वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किया है। सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू का निर्णय दिनांक 21–03–1991, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर निर्णय दिनांक 28–10–1996, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2033 आदि के आधार पर तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा निरन्तर माना है। तहसीलदार के निर्णय अनुसार ''**वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा जो वाद खातेदारी लेने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है वह अन्तिम रुप से राजस्व मण्डल से**

खारिज हो चुका है। इस कारण प्रतिवादीगण को कोई भी ह कइस जमीन पर बनाये रखने का नहीं रह जाता है। वर्तमान प्रकरण धारा 183–बी के सम्बन्ध में ही है। धारा 183–बी मूलतः ट्रेसपासर जिसन कि एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर अवैध रुप से कब्जा किया है, इस सन्दर्भ में धारा 183–बी 1978 में संशोधन के जरिये आया है। वादी की ओर से प्रतिवादीगण ने कौन सी विशेष तारीख साल सम्वत जिसको कि प्रतिवादीगण ने कब्जा किया किसी भी साक्ष्य से अवगत नहीं करवाया है जिसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से गिरदावरियां, ए.सी.एम. चौमू व एडीजे क्रम–2 के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि को पढने से उनका पुराना कब्जा 1978 से पूर्व का कब्जा प्रतिवादीगण का होना पाया जाता है। फलस्वरुप वादी का यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की तारीख साल सम्वत आदि साबित नहीं किये जाने से व प्रतिवादीगण द्वारा का राजस्व रिकॉर्ड़ के अनुसार पुराना कब्जा साबित होने से वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है।'' इस प्रकार तहसीलदार द्वारा वादी का प्रकरण धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत साबित नहीं मान कर खारिज किया है। अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर, तृतीय, जयपुर ने भी अपने निर्णय दिनांक 31–03–2006 द्वारा यह निष्कर्षांकन किया गया है कि– **'' ..... पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि पर रेस्पोण्डेण्ट का कब्जा 1978 के से पूर्व का होना पाया गया है। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 (बी) के तहत पेश हुआ है। राजस्थान टीनेसी एक्ट की धारा 183 (बी) वर्ष 1978 से लागू हुई है जिसके अनुसार 1978 के बाद अनुसूचित जाति/ जनजाति की भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कब से चला आ रहा है यह देखा जाना है। यहां यह स्पष्ट है कि कब्जा 1978 से पूर्व का होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोण्डेण्ट को अतिक्रमी नहीं पाया है बल्कि राजस्व रिकॉर्ड़ से पुराना कब्जा साबित होना बताया है। मान्य अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–2 महोदय ने भी अपील संख्या 3/91 श्री कृष्ण बनाम सरकार व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 28–10–96 में रेस्पोण्डेण्ट का ही कब्जा होना पाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं .....''** और इस निष्कर्ष के साथ अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया।

12– उपरोक्त अनुच्छेद 11 में वर्णित दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के सुसंगत भाग और मुख्यतः निष्कर्ष भाग का अवलोकन करने

से स्पष्ट है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चले प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–03–1991 और अपील संख्या 3/91 में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–1996 को आधार बना कर यह मान लिया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा 1978 के पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जासुदा प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त धारा 183–बी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार हैः–

> ***183-B. Summary ejectment of trespassers of the land held by a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.-*** *(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of a land held by a tenant belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be liable to ejectment on an application of the person entitled to evict him [or on the application in the prescribed manner of a public servant, authorised by the State Government in this behalf] and shall be further liable to pay penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.*
>
> *(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner [and shall conclude as far as practicable within the prescribed period and after] affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser."*

उक्त धारा 183–बी को अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत (person or persons entitled to admit trespasser as tenant) था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित

किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/ जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली 'entitled to admit' को विलोपित कर शब्दावली 'entitled to eject' प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/ जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचिारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचिारी के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05–06–1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/ जनजाति के खोतदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। किन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, चौमूं और अतिरिक्त कलेक्टर, तृतीय, जयपुर इस धारा 183–बी के पीछे राज्य सरकार की मंशा को समझने व संवदनशीलता का परिचय देने में असफल रहे हैं। उक्त धारा 183–बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी। अतः इस बिन्दु पर नीचे की दोनों अदालतों के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा भी इसी प्रकार का तर्क किया गया था, और मेरी राय में ऐसे तर्क का कोई विधिक आधार नहीं है।

13– अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरुद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये **(a trespasser who has taken or retained possession without lawful authority)** है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वादहेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा 1997 में प्रस्तुत धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वादहेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है?

14– तहसीलदार, चौमू के निर्णय में अंकित है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 2011 से 2033 की खसरा गिरदावरी से साबित है। विद्वान अभिभाषक वर्तमान अप्रार्थीगण का भी इसी प्रकार का तर्क है। मेरा मत है कि पुराने कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया था, जो अन्तिम रुप से राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20–10–1977 से खारिज हो चुका है अर्थात प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और जो व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होते हुये भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है तो वह केवल और केवल अतिक्रमी ही है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20–10–1977 के साथ ही प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की श्रेणी में आ गये है और वादी/ वर्तमान अप्रार्थी श्रीकृष्ण को उक्त निर्णय दिनांक 20–10–1977 के दिन से ही धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा लाने का वादहेतु (cause of action) उत्पन्न हो गया है। उक्त निर्णय के बाद 12 साल की अवधि के अन्दर वादी/ प्रार्थी द्वारा बेदखली का प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

वादग्रस्त भूमि पर कब्जे को लेकर पक्षकारान में झगड़ा होने तथा दिनांक 09–11–1979 में वादग्रस्त भूमि को रिसीवर के कब्जे में लेने तथा दिनांक 21–03–1991 को न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं मजिस्टेट, चौमू द्वारा रिसवरी को समाप्त करके अप्रार्थीगण को कब्जा देने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित है। इस प्रकार वादी/प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिनांक 20–10–1977 से उत्पन्न वादहेतु (cause of action) दिनांक 21–03–1991 को पुनर्जीवित हो गया, किन्तु निर्णय दिनांक 21–03–1991 के विरुद्ध निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर के समक्ष विचाराधीन रही और निगरानी दिनांक 28–10–1996 को खारिज हुई, जिसके बाद वादी/प्रार्थी द्वारा धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रकरण तहसीलदार, चौमू के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार 1979 में वादग्रस्त भूमि रिसीवरी मे चले जाने व 1991 के निर्णय व रिसीवरी समाप्त होने के बाद भी प्रकरण निगरानी के रुप में 1996 तक लम्बित रहने के कारण वादी/ प्रार्थी द्वारा 1997 में को प्रस्तुत वाद राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20–10–1977 से उत्पन्न वादहेतु के आधार पर अन्दर मियाद है।

15– जहां तक धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण में कार्यपालक मजिस्टेट चौमूं द्वारा अथवा निगरानी के निर्णय दिनांक 28–10–1996 में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण/ वर्तमान अप्रार्थीगण का कब्जा मानने का प्रश्न है, इस प्रकार के निष्कर्ष का विधिक आधार रिसीवरी की दिनांक 09–11–1979 से अधिकतम दो माह पहले तक माना जा सकता है और जब खातेदारी का दावा ही राजस्व मण्डल से अन्तिम रुप से खारिज हो गया है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपाराधिक प्रकरण में प्रतिवादीगण का कब्जा मान लेने मात्र से उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है। यही स्थिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–1981 की है। हत्या के प्रकरण में वर्तमान अप्रार्थीगण के कुछ व्यक्तियों को सत्र न्यायालय से दोषसिद्ध मान कर सजा दी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 292/81 व 333/81 रुप में प्रकरण आने पर अपराधियों को माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी किया है किः– "The case of the prosecution cannot be said to have proven beyond reasonable doubt." इस प्रकार के आपराधिक अपील प्रकरण में भूमि के हक व अधिकार के विनिश्चयन बाबत किसी सिविल/राजस्व विवाद्यक का निर्णय ना तो किया जा सकता था और ना ही किया गया है। अपितु केवल आपाराधिक प्रकरण का निर्णय हुआ

है और ऐसे निर्णय से कोई अपराधी दोषमुक्त या दोषसिद्ध तो हो सकता है किन्तु वादग्रस्त भूमि में उसे कोई विधिक अधिकार नहीं मिल सकते हैं। राजस्व भूमि में स्वत्वाधिकार राजस्व वाद में निर्णीत होते हैं और ऐसा राजस्व वाद प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व मण्डल तक से निर्णीत हो चुका है।

16— उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा सुविचारित मत है कि प्रार्थी/ वादी श्रीकृष्ण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण अनाधिकृत रुप से काबिज है जिनकी हैसियत विधिक दृष्टि से अतिक्रमी होने से वादी/प्रार्थी उन्हे बेदखल कराने का अधिकारी है। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 183—बी अधिनियम, 1955 के वाद को खारिज करने में तहसीलदार, चौमू द्वारा और अपील को खारिज करने में विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा गंभीर प्रकृति की विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्तनीय है और हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

17— परिणामतः हस्तगत निगरानी को स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार, चौमू द्वारा प्रकरण संख्या 9/97 में पारित निर्णय दिनांक 01—04—2000 तथा अतिरिक्त कलेक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा अपील संख्या 45/2005 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 31—03—2006 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है और वादी/ प्रार्थी श्री कृष्ण पुत्र भूरा मीना द्वारा प्रतिवादी श्योला व हरनाथ पुत्रगण ईशरा जाति अहीर/ वर्तमान अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत धारा 183—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 707, 715 व 729 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा ग्राम निवाना तहसील चौमू पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उनकी बेदखली का आदेश दिया जाता है। वादी/ प्रार्थी श्रीकृष्ण वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य